



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]
No. 48]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 1999/शुक्ल 10, 1921
NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 1999/JYAISTHA 10, 1921

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

सूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1999

सं. 8/1(1)/99.— भारत सरकार के राजपत्र संख्या 1264 के खण्ड-4, भाग-III में दिनांक 26-04-99 को प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 1999 के निम्नलिखित विनियमों को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :—

विनियम संख्या	अध्याय
7	1.
	आयोग की कार्यवाहियों, यदि आयोग द्वारा अनुमत किया जाता है तो अंग्रेजी या हिन्दी में संचालित की जाएगी ।
13	3
	1
	संघ को उपर्युक्त उपबन्धों की ध्यायकता पर विशेषाधिकार और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित शक्तियाँ होगी और यह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात:-

13 §3 §5 §1

वह केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य कार्यालयों, कम्पनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षकार से आयोग द्वारा

यथा- निदेशात् ऐसी जानकारी जिसे इस

अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निर्वहन के प्रयोजन के लिए उपयोगी समझा जाता है, पकत्र करने का अधिकारी होगा तथा जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जायगी ।

18 §1 § 1

आयोग किसी भी संघ / फोरम अथवा अन्य निगमित निकायों या उपभोक्ताओं के किसी भी समूह को आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुमति दे सकेगा ।

18 §2 § 1

आयोग, कार्यवाही को समय पर पूरा करने की दृष्टि से ऊपर निर्दिष्ट संघ/फोरम को इकट्ठा होने के लिए निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा जिससे कि वे सामूहिक रूप से प्राप्य पत्र दे सकें ।

18 §3 § 1

आयोग, जब कभी भी यह उचित समझे संघ, समूहों, फोरम अथवा निगमित निकायों को, आयोग के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संघ के रूप में मान्यता के लिए प्रक्रिया अधिसूचित कर सकेगा ।

21. 2 { गणपूर्ति:
आयोग के समक्ष कार्यवाही के लिए गणपूर्ति की संख्या तीन होगी ।
- 22 2 कोई सदस्य, पदेन सदस्य सहित किसी निर्णय पर अपने मत का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि ऐसे मामले में वह आयोग की सारवान सुनवाई के दौरान उपस्थित न रहा हो ।
- 54-४१ 2 आयोग पक्षकार को मामले के तर्कों या निवेदनों का लिखित नोट फाईल करने का निर्देश दे सकता है ।
- 80 5 खण्ड 79-४१ में यथाविनिर्दिष्ट कोई उत्पादक कम्पनी जो उत्पादक कम्पनी और विद्युत क्रय करने वाले पक्षकार के बीच विद्युत आपूर्ति के लिए कोई करार किए जाने का प्रस्ताव करती है, तो वह ऐसी संधिदार करने से पूर्व टैरिफ के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगी ।
- 81 5 आयोग, समय समय पर अधिनियम की धारा 13 (1) की शर्तों के अनुसार विद्युत टैरिफ संबंधित मामलों में मार्ग दर्शक सिद्धान्त तैयार करेगा, जिन्हें अधिसूचित किया जाएगा ।

- 84 5 आयोग, बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए उत्पादन और पारेषण युटीलिटीज के लिए समुचित प्रोत्साहन स्कीमें तैयार कर सकता है, जिन्हें समय समय पर अधिसूचित किया जा सकेगा ।
- 85 5 आयोग, यदि समुचित समझे तो टाइम ऑफ डे मीटरिंग ॥ टी ओ डी ॥ और बिलों के समय पर भुगतान के लिए स्वतः प्रोत्साहन वाली संदाय शर्तों जैसे कारकों से कुछ विशेष टैरिफ का अनुमोदन कर सकता है ।
91. 5 आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से भिन्न टैरिफ प्रचल कर रहे हुए पाई जाने वाली किसी भी उपयोगिता के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है और यह अन्य किसी अधिनियम के अधीन दायी अन्य किसी कार्यवाही या शर्तों के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 45 के अधीन शर्तियों का दायी होगा । किसी वर्ष में किसी उपयोगिता द्वारा टैरिफ के किसी अतिरिक्त प्रकार के संबंध में आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

- 95- 6 आयोग किसी यूटील्टी को तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगा और आयोग योजना, विकास, संबंधित/अंतर्राज्यीय पारिषदा प्रणाली तथा एकीकृत प्रचालन से संबंधित कोड का अनुमोदन करेगा तथा पारिषदा अनुज्ञापित प्रदान करेगा जिसे भारतीय विद्युत ग्रिड कोड ॥ आई-ई-जी-सी-॥ के रूप में अधिसूचित किया जाएगा ।

संजीव एस. अहलुवालिया, सचिव

[सं. विज्ञापन/3/4/150/99(असाधारण)]

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
CORRIGENDUM**

New Delhi, the 31st May, 1999

No. 8/1(I)/99.—The following regulations in Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 shall read as under instead of that published on 26-4-1999 in Part III Section IV G.I. No. 1264 :

<u>Regulation No.</u>	<u>Chapter</u>	
7	I	The proceedings of the Commission shall be conducted in English, or in Hindi, if permitted by the Commission.
13(3)	I	In particular and without prejudice to the generality of the above provisions, the Secretary shall have the following powers and perform the following duties, namely:
13(3)(g)	I	he shall have the right to collect from the Central Government or other offices, companies and firms or any other party as may be directed by the Commission, such information as may be considered useful for the purpose

of efficient discharge of the functions of the Commission under the Act and place the information before the Commission.

- 18(1) I It shall be open to the Commission to permit any association /forum or other bodies corporate or any group of consumers to participate in any proceedings before the Commission.
- 18(2) I It shall be open to the Commission for the sake of timely completion of proceedings, to direct grouping of the associations/forums referred to above, so that they can make collective affidavits.
- 18(3) I The Commission may, as and when considered appropriate, notify a procedure for recognition of associations, group, forum or bodies corporate as registered consumer association for purposes of representation before the Commission.
- 21 **Quorum**
- II The Quorum for the proceedings before the Commission shall be three.
22. II No Member including Ex-officio Member, shall exercise his vote on a decision unless he is present during all the substantial hearings of the Commission on such matter.
- 54(4) II The Commission may direct the parties to file written note of arguments or submissions in the matter.
- 80 V Any generating company as specified in clause 79(1) proposing to enter into any agreement for supply of electricity between the generating company and any buying party shall get the approval of the Commission for the Tariff before entering into such contracts.
- 81 V The Commission shall frame from time to time guidelines in matters relating to electricity Tariff in terms of section 13(g) of the Act which shall be notified.
- 84 V The Commission may work out appropriate incentive schemes for generating and transmission utilities for better performance, which may be notified from time to time.

85. V The Commission may, if considered appropriate, approve differential tariffs linked to factors like time of day Metering (TOD) and payment terms with built in incentives for timely payment of bills.
91. V Any utility found to be charging a tariff different from the one approved by the Commission shall be deemed to have not complied with the directions of the Commission and shall be liable to penalties under section 45 of the Act, without prejudice to any other proceedings and penalty to which it may be liable under any other Act. Any excess charge of tariff by any utility in any year shall be dealt with as per the directions of the Commission.
95. VI The Commission may require any utility to prepare and the Commission may approve the code concerning planning, development, connection/use of Inter-State Transmission System and integrated operation and grant of transmission licence which shall be notified as Indian Electricity Grid Code (IEGC).

SANJEEV S. AHLUWALIA. Secy.
[No. ADVT/III/IV/150/99(Exty.)]

